



११

दूरभाष— 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १८७८ / ०५ / ७६ / एक / २०१३-१४

से वा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-उन्नाव।

८०

दिनांक : २० सितंबर 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा दूड़ा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। mUukO

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में री०री० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है— (धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	आणणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न० २, काजीगढ़ी में सलामत के मकान से इवरार के मकान होते हुए मस्जिद तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	4.860	2.430	0.270	2.160	PNB 626400 010000 3934
2	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न०-२ काजीगढ़ी में जाहिद के मकान से मुनीर अहमद के मकान तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	3.900	1.950	0.220	1.730	
3	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न०-२ काजीगढ़ी में मोहम्मद गफकार के मकान से मो० अच्छन के घर तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	1.880	0.940	0.100	0.840	
4	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न०-२ काजीगढ़ी में सफीउल्ला के मकान से भुट्टो के मकान तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	11.800	5.900	0.660	5.240	
5	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न० २ काजीगढ़ी में लहरुल्लाह के घर से जादा के मकान होते हुए फेरन के घर तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	4.800	2.400	0.270	2.130	
6	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न०-२ काजीगढ़ी में समसुदीन के घर से गोले ठेकेदार के घर तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	1.920	0.960	0.110	0.850	
7	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न०-४ मझकोरिया परिचम से आमिर के मकान से कल्लू के मकान तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	1.470	0.735	0.080	0.655	
8	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न० ६, पुरानी बाजार में गुलाम हुसैन के मकान से शाईद के मकान तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	1.950	0.975	0.110	0.865	
9	उन्नाव	न०पं० मौरांवा	वार्ड न०-११, मझकोरिया पूरब से फारुख के मकान से मारिया के घर तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण।	7.140	3.570	0.400	3.170	
	योग			39.72	19.86	2.22	17.64	



४२

दूरभाष 2296709  
2296710

नव बेतना केन्द्र, 10 अशोक पार्क, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बसितियों तथा मलिन बरितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- १- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बरितियों तथा मलिन बरितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ४- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- ५- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- ६- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- ७- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- ८- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुगम्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- ९- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगरण के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को एक माह में उलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
२. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
३. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
४. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

भवानीय,  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

W  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक